

**प्रपत्र  
FORM**

दिनांक: 31/12/2017 को वर्ष 2017 के लिए अचल संपत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR 2017 AS ON 31/12/2017

अधिकारी का नाम : डॉ० अशोक कुमार वर्तमान वेतन L-11  
 Name of the officer: डॉ० अशोक कुमार Present Pay  
 सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है CSIR-IHBT, Palampur.  
 वर्तमान पद : Scientist  
 Present Post held:

| जिला, सब डिवीजन, तालुका और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति है<br>Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated. | संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व विवरण<br>Name and details of property, Housing lands & other, buildings | वर्तमान मूल्य<br>Present Value | यदि सम्पत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उसके सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण क्या है ?<br>If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servant. | सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या बरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधन, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार के अन्तर्गत अन्य कोई से ली गई ?<br>How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired. | सम्पत्ति से वार्षिक आय<br>Annual Income from the property. | जाम्बुकांत<br>Remarks |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1.  | 2.  | 3.                             | 4.  | 5.  | 6.   | 7.                    |
| -   | -   | -                              | -   | -   | -  | -                     |

जो खाली स्थान नहीं हैं, उसे फीट किया जाए। Inapplicable clauses be struck out.

\*जहाँ मूल्य का सटीक आकलन संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

\*\* अल्पकालीन पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है। Includes short term lease also.

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय विधिक सेवा (आवरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर केंपीन तथा केपी-11 (वर्ग/ग्रेड) एवं वर्ग (ग्रेड) के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अवकाश पर भेजा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अधिभार, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा बंधन संपूर्ण अवकाश संबंधित का विवरण दिया गया हो।

Note: The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-1 and class-11 service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

हस्ताक्षर/Signature [Signature]  
दिनांक/Date 31/12/2017

est make  
15/1